दिनांक 31.01.2024 को देहरादून पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित नशीले कैप्सूल की तस्करी करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 3200 प्रतिबन्धित नशीले कैप्सूल बरामद।

मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के ड्रग्स फ्री देवभूमि की परिकल्पना को साकार करने के लिये एसएसपी देहरादून के निर्देशन में दून पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी व कारोबार करने वाले आसमाजिक तत्वो को चिन्हित कर मादक पदार्थ की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम मे कोतवाली डोईवाला पर पूर्व से गठित पुलिस टीम द्वारा बालकुआंरी मार्ग लालतप्पड डोईवाला पर दिनांक 30.01.2024 को संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिग के दौरान अल्टो कार सं0-UK17K9455 को रोककर चैक किया गया, तो वाहन उपरोक्त मे अभियुक्त शाहनजर द्वारा *प्रतिबन्धित नशीले कैप्सूल* (कुल 3200) की तस्करी करते हुए बरामद होने पर अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व प्रतिबन्धित कैप्सूल की बरामदगी होने पर थाना डोईवाला पर मु0अ0सं0-32/24 धारा 8/22/60 NDPS ACT बनाम शाहनजर पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को नियमानुसार मा0न्या0 पेश किया जा रहा है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह हरिद्वार के कनखल स्थित मेडिकल एजेंसी से नशीली दवाइयों को ख़रीदता था तथा लाल थप्पड़ डोईवाला आदि क्षेत्रों में अक्सर सप्लाई करता था, अभियुक्त ज़्यादातर शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों तथा मज़दूरों को नशीली दवाइयां बेचा करता था।

नाम पता गिरफ़्तार अभियुक्तः-

अभियुक्त शाहनजर पुत्र शराफत हुसैन निवासी सुल्तानपुर अदमपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार उम्र 25 वर्ष

बरामदगी विवरणः-

01- PARAVION SPAS CAPSULS TRAMADOL प्रतिबन्धित (कुल 3200)

02-अल्टो कार सं0-UK17K9455

03-मोबाईल फोन सैमसंग

पुलिस टीमः- 01-उ0नि0 देवेश खुगसाल-चौकी प्रभारी लालतप्पड. 02-कानि0 सुबोध नेगी, 03-कानि0 सचिन राणा, 04-हे0का0 प्रवीण सिन्धु, 05-कानि0 विनित कुमार